विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन शासनादेश संख्या–/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जनपद बाराबंकी में पूर्व विज्ञापित पदों में रिक्त रह गये 22 आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त रह गए पदों का विवरण

क्र0सं0	ग्रामीण/शहरी परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों के आरक्षण का विवरण		
			अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	बंकी	02	01	01	—
2	रामनगर	02	—	01	01
3	बनीकोडर	05	01	—	04
4	पूरेडलई	01	—	—	01
5	दरियाबाद	01	01	—	—
6	देवा	01	01	—	—
7	सूरतगंज	01	01	—	—
8	हरख	02	—	—	02
9	फतेहपुर	02	01	01	—
10	हैदरगढ़	03	01	—	02
11	सिद्धौर	02	01	—	01
	योग–	22	08	03	11

उपरोक्त पदों का ग्रामसभावार/वार्डवार रिक्त पदों का विवरण व आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण आँगनवाड़ी भर्ती पोर्टल https://upanganwadibharti.in पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, समस्त तहसील, समस्त विकास खण्ड तथा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।

पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. उक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी।
2. आँगनवाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आयु सीमा– आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
4. आयु के संबंध में हाईस्कूल अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

5. एक आँगनवाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
6. एक से अधिक केन्द्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।
7. उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में)की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधवा पात्र महिला न मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
8. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में)की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
9. गरीबी रेखा के नीचे की पात्र महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में)की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवार की विधवा, विधवा पात्र महिला न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
10. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में)की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाएं पात्र होंगी।
11. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
12. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित)के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हों। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015(यथा संशोधित)द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
14. आय, निवास व जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय, निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हों।
15. विज्ञापित पदों हेतु वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक, आय/जाति/निवास प्रमाण–पत्र गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो चयन समिति के निर्णयानुसार अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी का अभ्यर्थन पोर्टल द्वारा निरस्त किया जाता है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगी।

16. उक्त पदों पर चयन शासनादेश संख्या–/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
17. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना तथा शासनादेश विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है, साथ ही विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय या विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से कार्यदिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
18. उपरोक्त चयन के सम्बन्ध में उच्च स्तर से निर्गत निर्देशों/चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगे।
19. उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ़ सकती है।
20. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10.12.2025 तक होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाराबंकी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक 8-2321/जि0का0अधि0/आं0बा0कार्य0नियु0/2025–26/दिनांक 17 नवम्बर, 2025
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3. मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति, बाराबंकी।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार, बाराबंकी।
5. जिला विकास अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी–ए(सुश्री प्रतिभा यादव), समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, सदस्य चयन समिति, बाराबंकी।
6. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण तथा अमर उजाला को इस आशय से कि न्यूनतम दर एवं न्यूनतम स्थान पर आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर बिल 02 प्रमाणित प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध करायें।
8. खण्ड विकास अधिकारी, बंकी/रामनगर/बनीकोडर/पूरेडलई/दरियाबाद/देवा/सूरतगंज/हरख/फतेहपुर/हैदरगढ़/सिद्धौर, बाराबंकी को इस आशय से कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बंकी/रामनगर/बनीकोडर/पूरेडलई/दरियाबाद/देवा/सूरतगंज/हरख/फतेहपुर/हैदरगढ़/सिद्धौर, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाराबंकी।